विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं.–3 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
3(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि जनपद–वाराणसी के पंचकोशी मार्ग पर स्थित शराब की दुकान बंद करायेंगे?	जी नहीं।
(ख) यदि हां, तो कब तक?	जनपद–वाराणसी में पंचकोशी मार्ग पर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं मॉडलशाप की कुल दुकानों की संख्या–54 है जिनमें वर्ष 2022–23 के लिये अनुमानित राजस्व–रू.93,00,00,000/–निहित है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आबकारी नीति की घोषणा शासनादेश दिनांक 01.01.2022 के अन्तर्गत की जा चुकी है। उक्त नीति के अनुपालन में तदनुसार प्रदेश में मद्यनिषेध लागू न करते हुये मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से किया जा चुका है। उपरोक्तानुसार किये गये व्यवस्थापन से आबकारी राजस्व की प्राप्ति राज्य सरकार को होती है। आबकारी राजस्व से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग राज्य की विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है। शराब बन्दी से राज्य सरकार को भारी राजस्व से वंचित होना पड़ेगा तथा राज्य की विकास योजनायें प्रभावित हो सकती है, जो राज्य के हित में उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त शराब बन्दी से अपायकर अवैध मदिरा के निर्माण/तस्करी से जहाँ एक ओर राजस्व की हानि होगी वहीं दूसरी ओर इसके उपभोग से जनस्वास्थ्य भी प्रभावित होगा।
(ग) यदि नही, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग